COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, Jamui
S.C/S.T Case No. 66/2022
O R D E R.

15.05.2024

अभियुक्ता उपासना सिन्हा की ओर से दिनांक 11.12.2023 को दिए गए आवेदन तथा इसके प्रतिउत्तर दिनांक 19.01.2024 पर आवेदक अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष अपर लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

आवेदक में साररूप से कथन किया गया है कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधानोपरांत अंतिम प्रतिवेदन समर्पित (Final Form) किया था, किंतु इस मामले में इस न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा भा0द0वि0 की धारा 504, 506 दोनों सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) / 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया। आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्ता ने विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के **न्यायालय में दिनांक 18.06.2022** को एक सूचना आवेदन (Informatory petition) दिया था तथा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने वह सूचना आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित किया। इन्हीं सब बातों से पीड़ित एवं क्षुब्ध होकर झूठे अभियोग के आधार पर सूचक डा0 अशोक कुमार दास ने यह कांड दर्ज करवाया गया। आवेदन में आगे कथन किया गया है कि सूचक ने विद्यालय में शिक्षकों का एक वर्ग बना रखा है, जिनका एकमात्र उदेश्य विद्यालय के प्रशासन में हस्ताक्षेप करना होता है। आवेदन में आगे कथन किया गया है कि काण्ड दैनिकी काण्ड दैनिकी में आवेदक अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः आवेदक अभियुक्ता को इस मामले में उन्मोचित (Discharge) किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिउत्तर में साररूप से कहा गया है कि उपरोक्त आवेदन, जो उन्मोचन (Discharge) हेतु दिया गया है, पोषणीय नहीं है, क्योंकि कांड दैनिकी के पारा 2 एवं 6 में सूचक सहित साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अतः इस आधार पर उपरोक्त आवेदन को अस्वीकृत करने का आवेदन किया। मैंने सुना एवं अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पारा 2 में कांड के सूचक का पुनः बयान दर्ज है। अपने पुनः बयान में सूचक ने कथन किया है कि सभी शिक्षकों के समक्ष जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके गाली देती है। अर्थात सूचक ने अपने पुनः बयान में अपने प्राथमिकी का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के पारा 6 में अन्य साक्षी गौतम कुमार ने अपने साक्ष्य में साररूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। यद्यपि कांड दैनिकी के पारा 7 एवं 8 में अन्य साक्षी अरविंद कुमार एवं सोनी कुमारी का बयान दर्ज है, जिसमें इन्होंने साररूप से कथन किया है कि परिवादी डॉ0 अशोक कुमार बेवजह उपासना सिन्हा को परेशान करते हैं। मेरे विचार से

सूचक एवं साक्षी गौतम कुमार ने साररूप से अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। मेरे विचार से मामले में आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामाग्री उपलब्ध है। अतः आवेदक अभियुक्ता का उपरोक्त आवेदन अस्वीकृत किया जाता है एवं आवेदक अभियुक्ता को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक .....को आरोप गठन हेतु सशरीर उपस्थित हों।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई